आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
07.2.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। 7.2.23 अंचल अधिकारी, मनातू।	
16.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 03.03.23 को रखें। 16.2.23 अंचल अधिकारी, मनातू।	

03.03.2023	अभिलेख अपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा भीतडिहा, थाना सं0 349 खाता सं0– 74, प्लौट सं0 7/1 रकबा 0.70 एकड़ है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं0 23/12 पर जसोदा देवी पति कैलाश देवी को पवन देवी के नाम से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्रधिकार अनुमण्डल पदाधिकरी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त वाद सं0– 168/2022-23 से प्राप्त है। अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 3.3.23 अंचल अधिकारी, मनातू। 3.3.23 अंचल अधिकारी, मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय : संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केश नं०- 01/2016-17 के जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,
उपरोक्त विषयक संबंध में ग्राम - सीतडिहा, थाना नं०- 349 खाता- 74, प्लॉट- 7/1, रकबा → 0.70ए० जमाबंदीदार जसोदा देवी वगैरह के भूमि का स्थल जाँच ~~किया~~ अंचल अमीन के साथ किया एवं उपलब्ध भूमि अभिलेखों एवं दस्तावेजों से मिलान उपरांत निम्न सूचना प्राप्त होती है -

① ग्राम - मितडीहा, थाना नं०- 349 के माँग पंजी II का विवरण निम्न प्रकार है -
जसोदा देवी वो कैलाश देवी पति - शिवानन्द यादव,
पवन्ती देवी पति - सुर्ग देव यादव

खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	पेज	परिवर्तन का प्राधिकार
74	7/1	0.70ए०	Rs 5/-	23/12	बन्दोबस्ती केश नं०- 168/2002-03 के अनुसार माँग खोला गया।

* लगान रसीद निर्गत का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०	लगान रसीद संख्या	लगान रसीद दिनांक	वसूली वर्ष
1.	113 999	3/08/2007	2007-08
2.	4938185	5/4/2011	2011-12
3.	115 687	23/7/2014	2014-15

② ग्राम - मितडीहा, थाना नं०- 349 के गत सर्वे खतियान के अनुसार खाता → 74, प्लॉट → 7, गैरमजरुआ मालिक, किस्म - जंगल झाड़ी दर्ज है।

③ उपस्थित ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधि से पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई की उपरोक्त जमाबंदीदार ~~एवं~~ एवं उनके पूर्वज लंबे समय से उक्त भूमि पर जोत-कोड़ एवं खेती करते आ रहे हैं।

④ अंचल अमीन द्वारा स्थल जाँच उपरांत प्रतिवेदित की है कि उक्त भूमि पर बन्दोबस्तीधारी जसोदा देवी वगैरह का मकान सहन के रूप में दखल है।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदित भूमि संबंधीत दस्तावेजों के आलोक में उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / संदिग्ध प्रतीत नही होता है। अत: नियमानुसार अग्रेतर कारवाई हेतु सादर समर्पित।

Sheshank
28/2/2023
RSI

सेवा में,
श्री मान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय :- संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी केश नम्बर 01/2016-17 से सम्बन्धित स्थल जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयांगत से सम्बन्धी ग्राम- मीतडीहा थाना-मनातु थाना नम्बर- 349 के अन्दर खाता 74 प्लौट न० 7// रकबा- 70 डी० भूमि का स्थल जाँच हेतु गया। स्थल पर बन्दोबस्तधारी जशोदा देवी वो कैलाश देवी पति शिवनन्दन यादव वगै० का मकान सहन के रूप में दखल है।

अतः आवश्यक कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वास भाजन
[signature]
अंचल अमीन
मनातु
27/02/23

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.03.27 11:32:09 +05:30
Location: 192.168.90.97